न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 393/2017

देवीलाल पुत्र भैरूदास के कायममुकामान–

1. घेवरदास पुत्र देवीलाल
2. राजेन्द्रकुमार पुत्र देवीलाल
3. भंवरदास पुत्र देवीलाल
4. प्रेमदास पुत्र देवीलाल
   सभी जाति साद, निवासी खेतासर
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
5. कमला पत्नी सोहनदास पुत्री देवीलाल,
   निवासी बलदेवनगर, जोधपुर
6. विमला पत्नी श्यामदास पुत्री देवीलाल जाति साद,
   निवासी सालावास, तहसील लूणी,
   जिला जोधपुर
7. लीला पत्नी प्रेमदास पुत्री देवीलाल जाति साद,
   निवासी सालावास, तहसील लूणी,
   जिला जोधपुर
8. मधु पत्नी ओमप्रकाश पुत्री देवीलाल जाति साद,
   निवासी बिराणी, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब ना म

1. (नाम विलोपित)
2. झूमरराम पुत्र केहराराम मेघवाल
3. कोजाराम पुत्र केहराराम मेघवाल
4. पेमाराम पुत्र केहराराम मेघवाल
   निवासीगण ग्राम खेतासर, तहसील ओसियां,
   जिला जोधपुर
5. शिवदास पुत्र भैरूदास के कायममुकामान–
   5.1. पुखराज पुत्र शिवदास साद,
   निवासी वैष्णव कॉलोनी, तिंवरी,
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
   5.2. हडमानदास पुत्र शिवदास साद,
   निवासी ढढो का बास, तिंवरी
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
   5.3. अमृतलाल पुत्र शिवदास साद,
   निवासी ढढो का बास, तिंवरी
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
   5.4. मोहनदास पुत्र शिवदास साद,
   निवासी ढढो का बास, तिंवरी
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5.5. कालूदास पुत्र शिवदास साद,
निवासी बैंक कॉलोनी, राईका बाग
जोधपुर

5.6. पुष्पादेवी पुत्री शिवदास साद पत्नी प्रेमदास
निवासी वैष्णव कॉलोनी, तिंवरी,
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

5.7. रामप्यारी पुत्री शिवदास साद पत्नी किशोरदास
निवासी इन्द्रोका, तहसील व जिला जोधपुर

6. राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार ओसियां
जिला जोधपुर

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 20 दिसम्बर 2016 राजस्व अपील संख्या 26/2011 देवीलाल बनाम जमना इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पी.आर. मेघवाल, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 2 व 3
श्री एम.एल.खत्री, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 5.1, 5.2 व 5.4
राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 07 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 26/2011 देवीलाल बनाम जमना आदि में पारित निर्णय दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट देवीलाल की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत कर म्युटेशन संख्या 207 दिनांक 13 जून 1970 जो ग्राम पंचायत खेतासर द्वारा आराजी खसरा संख्या 99 व 103 वाके मौजा खेतासर बाबत स्वीकृत किया गया, को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील मियाद–बाधित मानते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को खारिज कर दी गयी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 5 की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। रेस्पो. संख्या

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

1 से 4 के पूर्वज केसुराम उर्फ केहराराम ने तत्कालीन पटवारी हळका एवं सरपंच से मिल कर म्युटेशन संख्या 207 दिनांक 13 जून 1974 अपीलाण्ट्स की जानकारी के बिना ही अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। कालान्तर में उक्त म्युटेशन बाबत जानकारी होने पर अपीलाण्ट्स की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद–बाधित मानते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय खारिज कर दी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा जाहिर किया गया कि दिनांक 14 जुलाई 2011 को रेस्पो. संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट को धमकी दिये जाने के कारण दिनांक 16 जुलाई 2011 को पटवारी हळका के पास जाकर जानकारी करने पर उक्त म्युटेशन बाबत जानकारी हुई और यही तथ्य अपीलाण्ट देवीलाल की ओर से शपथपत्र सहित प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के बिन्दु संख्या 2 में होना अंकित किया गया है। मगर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के मियाद प्रार्थनापत्र में जानकारी की दिनांक 16 जुलाई 1970 वर्णित किया जाना मानते हुए प्रथम अपील मियाद–बाधित मान ली गयी, जो सही नहीं है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी का अपीलाण्ट्स अथवा उनके पूर्वजों द्वारा कभी किसी के पक्ष में कोई बेचान अथवा हस्तान्तरण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं बिना किसी आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 207 दिनांक 13 जून 1974 प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है जिसे किसी भी स्तर पर अपास्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज देवीलाल व शिवदास पिसरान भैरूदास द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बेचान रेस्पो. संख्या 1 से 4 के पूर्व केसूदास के पक्ष में दिनांक 16 सितम्बर 1969 को कर दिया गया था, उसी के आधार पर म्युटेशन संख्या 207 स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 13 जून 1974 को स्वीकृत म्युटेशन संख्या 207 के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष 21 जुलाई 2011 को करीब 37 साल बाद अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील को मियाद बाधित मानते हुए खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि जो कथित बेचाननामा की छायाप्रति प्रपत्र तीन के संलग्न रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत की गयी है, वह अपंजीबद्ध और अप्रमाणित है, जो साक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट म्युटेशन संख्या 207 दिनांक 13 जून 1970 खारिज किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत 21 जुलाई 2011 को प्रस्तुत की और अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र पेश किया, जिसमें उक्त म्युटेशन बाबत सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14 जुलाई 2011 को होना अंकित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया है। किन्तु अपील स्तर पर रेस्पो. की ओर से प्रपत्र तीन के संलग्न जो बेचाननामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, उसके अवलोकन से

शिवदास व देवीलाल पिसरान भैरूदास कौम साद साकिन खेतासर द्वारा वादग्रस्त आराजियात का मूल्यवान प्रतिफल रूप्ये 99/– लिया जाकर केसूदास के पक्ष में दिनांक 16 सितम्बर 1969 को किया जाना प्रकट होता है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 जून 1974 को स्वीकृत म्युटेशन संख्या 207 के कॉलम 14 में "बेचान जरिये स्टाम्प 3रू दिनांक 22/5/68 बेचान दिनांक 16–9–69 को हुआ, नामा. भरा गया" अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त म्युटेशन संख्या 207 के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष 21 जुलाई 2011 को करीब 37 साल बाद अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील को मियाद बाधित मानते हुए खारिज करने में कोई त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 दिसम्बर 2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर